**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2938**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**एग्मुट संवर्ग के आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती**

**2938. श्रीमती कहकशां परवीनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या वर्ष 2010 में जारी एग्मुट (एजीएमयूटी) संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है;**

**(ख) उपर्युक्त नीति के उल्लंघन में अपने कार्यकाल के बाद भी दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) क्या बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में क, ख और ग क्षेत्रों में तैनाती की अवधारणा का अनुपालन किया जा रहा है, तैनाती में अपवाद, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): वर्तमान में, संयुक्त एजीएमयूटी कैडर, 2016 के आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती हेतु दिनांक 09.11.2016 को यथा अधिसूचित, वर्ष 2016 के दिशा-निर्देश प्रचलन में हैं। संयुक्त एजीएमयूटी कैडर के सभी घटकों (दिल्ली एवं चंडीगढ़ को छोड़कर) को केवल श्रेणी ‘क’ तथा ‘ख’ में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वोक्‍त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है।

**\*\*\*\*\***